दावा बाबत् इन्द्राज दुरस्त करने अन्तर्गत धारा 136 राज लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

—: निर्णय :—

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी श्री गटु पिता सोमा ननोमा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी पाडलिया घाटा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 कि पेतृक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि मौजा पाडलिया घाटा प.ह. घाटा का गॉव भू0अ0नि0 क्षेत्र जोगपुर में खाता संख्या 52/101 कुल खसरा 18 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा की स्थित हैं।

यह कि वादी के पिता सोमा पिता मांगलिया ननोमा के दो पुत्र सन्तान जगन्नाथ एवं वादी गटु हुए। वादी के पिता सोमा कि मुत्यु उपरान्त विरासती नामान्तरण संख्या 985 खोलते समय तत्कालीन राजस्व अधिकारियों के द्वारा त्रुटी वंश वादी के नाम से विरासती नामान्तरण खोलना रह गया था। जिसके उपरान्त भी कृषि भुमि को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ था और अनवरत् रूप से अपने भाग के खेतो पर कृषि कार्य करता आ रहा हैं।

यह कि अन्य सह खातेदारों के भी समय समय पर विरासती नामान्तरण दर्ज रिकोर्ड होते रहे तब भी वादी के उसके भाग के खेतों में कृषि कार्य करने से किसी ने नहीं रोका और वर्तमान में वादी अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज हो काश्त करता आ रहा हैं।

यह कि वादी के द्वारा अपने हिस्से कि कृषि के विकास कार्यो हेतू ऋण कि आवश्यकता होने पर अपने खाते कि नकल दिनांक 12.10.2018 को प्राप्त की तब उसे ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त आराजी के खाते कि जमाबन्दी में विरासती नामान्तरण दर्ज करते समय केवल उसके भाई प्रतिवादी संख्या 14 का ही नाम दर्ज रेकार्ड है जिस पर उसने हल्का के पटवारी तथा भूमिधारी तहसीलदार से समपर्क किया परन्तु वाद/प्रार्थना पत्र के जरिए ही उसका खाते में दर्ज किये जा सकने की जानकारी हाने पर वाद पत्र पेश करने की नौबत आई है।

यह कि वादी के समय समस्त आवष्यक दस्तावेजों में दर्ज हो वादी के नाम के साथ उसके पिता सोमा का नाम अंकित है वादी को गटू पिता सोमा ननोमा के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है।

यह कि वादी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खाते भूमि की जमाबन्दी में त्रुटी वंश वादी का नाम अंकित करना रह गया है और केवल उसके भाई प्रतिवादी संख्या 14 का नाम अंकित हो गया है।

यह कि राजस्व अधिकारियों की त्रुटी के कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि दौराने नामान्तरण दर्ज करते समय वादी का नाम अंकित होना रह गया है जो कि गलत है वादी के कपता का नाम सोमा है और सोमा के दो पुत्र संतान जगन्नाथ व गटु वादी है राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती कर वादी नाम दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

यह कि कलम सख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि वादी की पैतृक संपति होकर उक्त कृषि भूमि में वादी का भी हिस्सा है।

यह कि राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर उक्त कृषि भूमि में वादी नाम रेकार्ड किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं न ही तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है।

यह कि उक्त खाते में इन्द्राज दूरस्ती में वादी नाम अंकित करने से अन्य सह खातेदार को कोई आपत्ति नहीं हैं।

यह कि वादी द्वारा उक्त खाते कि नकल दिनांक 12.10.2008 को लेने से जानकारी हुई जिससे वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

यह कि तहसीलदार साहब सागवाडा जो प्रतिवादी हैं को लेण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं परन्तु उनके विरुद्ध कोई दाद नहीं चाही गई हैं।

यह कि वाद अन्दर म्याद आवश्यक न्याय शुल्क पर व वाद पत्र मय द्वितीय प्रति एवं शपथ पत्र तथा वादी का रजिस्टर पते के साथ प्रस्तुत है।

प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की प्रकति का होने से राजस्व वाद में दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 तथा प्रतिवादी संख्या 15 भूमिधारी तहसीलदार को सम्मन/नोटिस जारी किये। प्रतिवादीगण 1 से 14 को नोटिस/सम्मन तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही होने से दिनांक 06.02.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है। प्रतिवादी संख्या 15 भूमिधारी को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया।

प्रकरण उपखण्ड अधिकारी गलियाकोट से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 03.09.2022 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस/सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण को पुनः सम्मन जारी किये जाने पर बाद तामिल प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादीगण 1 से 14 को नोटिस/सम्मन तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही होने से दिनांक 05.02.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है। प्रतिवादी संख्या 15 भूमिधारी को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया।

भूमिधारी तहसीलदार ओबरी से दिनांक 02.09.2024 को रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली किया गया।

भूमिधारी तहसीलदार ओबरी से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के क्रम मे सकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। हमने प्रार्थना पत्र , भूमिधारी तहसीलदार ओबरी की रिपोर्ट का अवलोकन किया।

मौजा पाडलिया घाटा के खाता संख्या 59/101 कुल किता 18 कुल रकबा 2.9034 है0 ईश्वर पुत्र काना वगैराह दर्ज रिकार्ड है। ग्रामीण मौतबिरानों व वादी के सहखातेदारों द्वारा दी गई जानकारी एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार वादी के पिता सोमा पिता मगंलिया के दो पुत्र है। जगन्नाथ पिता सोमा एवं गटु पिता सोमा है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में जगन्नाथ पिता सोमा का नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड है एवं उसके भाई गटु पिता सोमा का नाम दर्ज रेकार्ड नही है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त कर रहे है। मौजा पाडलिया घाटा के खाता संख्या 59/101 में वादी के भाई जगन्नाथ पिता सोमा का दर्ज रिकार्ड है, परन्तु वादी का नाम दर्ज रिकार्ड नही है। सहखातेदारो द्वारा दी गई जानकारी अनुसार खाता संख्या 59/101 में वादी का नाम जोडा जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

अतः वादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र/वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार ओवरी को आदेश दिया जाता है कि मौजा पाडलिया घाटा पटवार मण्डल घाटा का गॉव की जमावंदी सवत् 2070–73 खाता संख्या 52/101 कुल किता 18 रकबा 17.19 बिघा में खातेदार वसु, विजय, काली पिता ताजु, शान्ति बेवा ताजु 1/5 हि.ब., धुला,गटु पिता लालजी, तेज बेवा लालजी 1/5 हि.ब., धना, ईश्वर,शिवा, बबला पिता काना, कंकु बेवा कानां 1/5 हि.ब., वालजी पिता मंगलिया 1/5, **जगन्नाथ पिता सोमा 1/5 मीणा सा.**

देहखातेदार दर्ज है तथा वर्तमान जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 खाता संख्या 59/101 किता 18 रकबा 2.9034 में **जगन्नाथ पुत्र सोमा हिस्सा 1/5 मीणा सा.देहखातेदार** एवं शेष खातेदार बदस्तुर के साथ वादी/प्रार्थी गटु पिता सोमा का नाम खाते मे जुडने से रह जाने से मौजा पाडलिया घाटा पटवार मण्डल घाटा का गॉव की जमाबंदी सवत् 2070–73 खाता संख्या 52/101 कुल किता 18 रकबा 17.19 बिघा एवं वर्तमान जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 खाता संख्या 59/101 किता 18 रकबा 2.9034 में **जगन्नाथ, गटु पुत्र सोमा हिस्सा 1/5 मीणा सा.देहखातेदार** दर्ज किया जावे, शेष खातेदार बदस्तुर जमाबन्दी अनुसार रहेगें।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय अनुसार पालना हेतु तहसीलदार ओबरी को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

(बाबुलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा
जिला डूंगरपुर (राज.)